

प्रेषक

लेखा अधिकारी,  
कार्यालय श्रम आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

1. सभी आहरण एवं सवितरण अधिकारी, (DDOs)  
हरियाणा राज्य, श्रम विभाग।

क्रमांक: लेखा/2024/21062-114  
दिनांक: 7-8-24

**विषय:- छुटी यात्रा भत्ता (एल0टी0सी0) के संबंध में बजट की मांग करने के संबंध में।**

उपरोक्त विषय के संबंध में।

2. विषयोक्त मामलें में कार्यालय के ध्यान में आया है कि क्षेत्रिय कार्यालयों से छुटी यात्रा भत्ता (एल0टी0सी0) के संबंध में बजट की मांग बारे अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। कार्यालय द्वारा मामलें का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सभी आहरण एवं सवितरण अधिकारी छुटी यात्रा भत्ता (एल0टी0सी0) बिलों हेतू अतिरिक्त बजट की मांग निम्न प्रोफार्मा अनुसार मुख्यालय को एक सप्ताह के अंदर-2 भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि संबंधित कार्यालयों को अतिरिक्त बजट प्रदान करने हेतू समय रहते वित्त विभाग, हरियाणा से अतिरिक्त बजट की मांग की जा सके :-

Sr. No.	Name & Rank of Applicant	Date of Joining in Govt. Service	Date of Retirement	Block of Year	Sanctioning Authority	Sanction No. and Date	Amount of Rs. LTC

यह आपके सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

लेखा अधिकारी,  
कार्यालय श्रम आयुक्त, हरियाणा।